प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 18 अगस्त 2020

वर्ष 2017–19 के बीच भारतवर्ष में लगभग 568,000 लोग बलपूर्वक विस्थापित हुये।
लगभग 20,000 लोग कोविड–19 महामारी के दौरान विस्थापित

आज ऑनलाईन कार्यक्रम में, **हाउसिंग एंड लैण्ड राईट्स नेटवर्क (एच.एल.आर.एन.)** ने **"वर्ष 2019 में भारत में जबरन बेदखलीः एक राष्ट्रीय संकट"** पर अपनी नई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में पिछले तीन वर्षों में भारत में जबरन बेदखली के आंकड़ों को शामिल किया गया है, विस्थापित व्यक्तियों के मानवाधिकारों पर गंभीर और दीर्घकालिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है और कम आय वाले समुदायों के घरों को जबरन बेदखली और उजाड़ने के गंभीर और मौन संकट को दूर करने के लिये सरकार से सिफारिशें की गई हैं।

एच.एल.आर.एन. की रिपोर्ट जारी होने के बाद डा. उषा रामनाथन (कानून, गरीबी और अधिकारों के न्यायशास्त्र पर शोर्धकर्ता), श्री मिलून कोठारी (उपयुक्त आवास पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व विषेश दूत), प्रो. अमिता भिडे (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस) और सुश्री शिवानी चौधरी (कार्यकारी निदेशक, हाउसिंग एंड लैण्ड राईट्स नेटवर्क) के साथ पैनल चर्चा की गई। सबने राष्ट्रीय स्तर पर जबरन बेदखली की समस्या की गंभीरता पर चर्चा की तथा राज्य की जिम्मेदारी और कानून के उल्लंघन पर प्रश्न उठाये।

2017 से 2019 के दौरान शहरी और ग्रामीण भारत में एच.एल.आर.एन. द्वारा पाया गयाः

117,770 से अधिक आवासों को उजाड़ा गया है। 568,000 से अधिक लोगों को राज्य ने जबरन अपने घरों से बेदखल कर दिया।

औसतन

हर साल लगभग **190,000 लोग अपने घरों से बेदखल हुये**। रोजाना **लगभग 108 मकानों को उजाड़ा गया**।

प्रतिदिन लगभग **519 लोगों ने अपना घर खोया** और **प्रत्येक घंटे 22 लोग बेदखल हुये**।

वर्तमान में, **लगभग 15,000,000 लोग भारत में बेदखली और विस्थापन के खतरे में रह रहे हैं।**

हालांकि उपरोक्त आंकड़े चिन्ताजनक हैं, ये एक न्यूनतम अनुमान है और वास्तविक तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा पेश करते हैं, क्योंकि ये केवल एच.एल.आर.एन. को ज्ञात मामलों को दर्शाते हैं। **इसलिये भारत में बेदखल और विस्थापित लोगों की कुल संख्या के साथ–साथ विस्थापन के खतरे में रहने वाले लोगों की संख्या लिखित आंकडे से कहीं अधिक होने की संभावना है।**

2017, 2018 और 2019 में भारत में जबरन बेदखली पर एच.एल.आर.एन. के शोध के प्रमुख निष्कर्ष –

1 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की जबरन बेदखली और उनके **घरों को उजाड़ने की कार्यवाही देशभर में हुए**–महानगरों, छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में।

2 सिर्फ वर्ष 2019 में, राज्य ने कम से कम **22,250 घरों को उजाड़ा और 107,600 से अधिक लोगों को बेदखल कर दिया**।

3 **कई कारणों से और विभिन्न बहानों के तहत बेदखली की गई**, जिसमें शामिल है– ''झुग्गी बस्तियों को हटाना/ अतिक्रमण हटाना/शहर सौन्दर्यीकरण'' अभियान, (46 प्रतिशत प्रभावित लोग), बुनियादी ढांचा और अस्थाई विकास परियोजनायें (27 प्रतिशत) पर्यावरणीय परियोजनायें, वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण, (17 प्रतिशत), आपदा प्रबंधन के प्रयास (7 प्रतिशत) और अन्य कारण जैसे राजनैतिक रैली (कुल प्रभावित परिवारों का 3 प्रतिशत) हैं।

4 जबरन बेदखली के लगभग सभी दस्तावेजीकृत मामलों में, राज्य के अधिकारियों ने **राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया**।

5 एच.एल.आर.एन. को प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में बेदखली के दस्तावेजीकृत मामलों में से **केवल 26 प्रतिशत मामलों में पुर्नवास प्रदान किया गया** (वर्ष 2018 और 2019 में दर्ज की घटनाओं में 29 प्रतिशत को पुर्नवास प्रदान किया गया।)। अधिकांश मामलों में पुनर्वास के अभाव में, प्रभावित व्यक्तियों को अपने वैकल्पिक आवास की व्यवस्था स्वयं करना पड़ा है या तो वे बेघर हो गये हैं। जिन लोगों को राज्य से किसी प्रकार का पुर्नवास प्राप्त हुआ, उनके पुनर्वास हेतु जो स्थान चयनित किया गया वह दूरदराज इलाके में, उपयुक्त आवास और आवश्यक नागरिक व सामाजिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

6 एच.एल.आर.एन. द्वारा दस्तावेजीकृत जबरन बेदखली की सभी घटनाओं में **अनेकों मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है**, विशेष्कर बच्चों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, बृद्धजनों, दलितों/अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों/आदिवासियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को अपने घरों और आवासों को उजड़ने से बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा है।

7 बेदखली और घरों के उजड़ने के इन लगातार कृत्यों के द्वारा, केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने **राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों, योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व मानदंडों का उल्लंघन** किया है।

8 अधिकांश बेदखल लोगों की **पहुँच न्याय तक नहीं है** और प्रभावी उपाय करने के लिये उनके न्यायिक उपाय के अधिकार को साकार नहीं किया गया है।

9 वर्ष 2019 में, **उच्च न्यायालयों, स्टेट कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सहित अदालत के आदेश के तहत 20500 से अधिक लोग विस्थापित** हुये है।

10 भारत भर में 14.9 मिलियन (१.५ करोड़) से अधिक लोगों को विभिन्न कारणों एवं परियोजनाओं से बेदखली और **विस्थापन के खतरे का सामना** करना पड़ रहा है।

बेदखल लोगों की संभावित संख्याः 2017–19	
कारण	**बेदखल लोग**
झुग्गी हटाने / अतिक्रमण हटाने / सौन्दर्यीकरण	262,400
पर्यावरण परियोजना / वन संरक्षण	96,400
आपदा प्रबंधन	38,600
बुनियादी ढ़ांचा परियोजना	155,660
'राजमार्ग/ सड़क निर्माण और विस्तार	41,500
'प्रदेश आवासीय परियोजना	46,400
'स्मार्ट सिटी' मिशन / 'स्मार्ट सिटी' परियोजना	22,630
'बुनियादी ढ़ांचा' परियोजना में शामिल	

महामारी की व्यापकता और भारत में COVID-19 मामलों के बढ़ते केस के बावजूद, एच.एल.आर.एन. ने दर्ज किया है कि **राज्य के अधिकारियों ने महामारी के दौरान कम से कम 20,000 लोगों को जबरन बेदखल कर दिया** (16 मार्च से 30 जुलाई के बीच)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों की अनदेखी करते हुये 'घर पर रहने' के लिये राज्य एजेंसियों ने मनमाने ढ़ंग से कम आय वर्ग वाले समुदायों के घरों को उजाड़ दिया है और इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान सीधे तौर पर उनकी असुरक्षा और जोखिम में वृद्धि हुई है।

हाउसिंग एंड लैण्ड राईट्स नेटवर्क जबरन बेदखली, कम आय वर्ग वाले और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के घरों को उजाड़ने की निरंतर घटनाओं की कड़ी निंदा करता है। हम राज्य को सभी स्तरों पर करने के लिये सिफारिश करते हैं:

1. राष्ट्रीय स्तर पर **बेदखली की प्रक्रिया पर तत्काल रोक** लगाई जाये।

2. भौतिक और अभौतिक नुकसान के लिये मुआवजा सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप पर्याप्त **पुनर्वास प्रदान करें**, और खाली होने पर वही स्थान पर अपने घरों के पुनर्निमाण के लिये बेदखल परिवारों का समर्थन करें, या 2–3 किलोमीटर के आस–पास के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के साथ उपयुक्त वैकल्पिक आवास प्रदान करें।

3. कानून के अनुसार, ''अनौपचारिक बस्तियों एवं झुग्गियों'' में **जबरन बेदखली और आग के सभी कृत्यों की जांच करें**।

4. **आवास अधिकार कानून पारित करें** जो पर्याप्त आवास के मानवाधिकारों के मानक को पूरा करता हो, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक किराये के आवास, हॉस्टल और सामूहिक आवास विकल्पों सहित एक सतत् रुप से किफायती व पर्याप्त आवास विकल्प प्रदान करें। बेघर व्यक्तियों और परिवारों के लिये घरों के प्रावधान को प्राथमिकता देने वाले आवास पहले दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करें।

5. आवास और आजीविका के लिये भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिये **वासभूमि कानून का अधिकार पारित करें**।

6. यह सुनिश्चित करें कि किसी भी बेदखली/स्थानान्तरण से पहले 'बेदखली प्रभाव आंकलन' किया जाता है।

7. सभी राज्य आवास नीतियों सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मानकों का अनुपालन करें।
8.
9. विशेष दूत सहित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकायों की सिफारिशों को लागू करें।

जबरन बेदखली न केवल मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करती है, बल्कि गरीबों के लगातार बेदखली को भी दर्शाती है। झुग्गी को तोड़े जाने और बेदखली के लगातार कृत्यों से सीधे आवासहीनता, भूमिहीनता, विस्थापन, दरिद्रता और आय असमानता में वृद्धि होती है। प्रभावित व्यक्तियों को कई मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ–साथ उनके जीवन स्तर में काफी गिरावट का सामना करना पड़ता है। इससे मानव विकास और राष्ट्रीय प्रगति में प्रतिकूल बाधा आती है। COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन के एक प्रमुख निर्धारक के रुप में उपयुक्त आवास के महत्व को दोहराया है। कोई भी राज्य जो आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित है, और अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने के बारे में गंभीर है, उसे अपने लोगों के आवास के अधिकार को त्वरित आधार पर साकार करना चाहिये और जबरन बेदखली और विस्थापन के संकट का निवारण करना चाहिये।

अधिक जानकारी के लिये, कृपया सम्पर्क करें–98182-05234 / 99719-28737/ 98319-43885

हाउसिंग एंड लैण्ड राईट्स नेटवर्क
जी–18/1, निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली–110013, भारत
www.hlrn.org.in | @HLRN_India | contact@hlrn.org.in